रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 1994/भाद्र 15, 1916
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 1994/BHADRA 15, 1916

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1994

का.आ. 645 (अ):—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उप धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (i) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है :—

क्षेत्रीय सदस्य

[धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (क)]

1. उत्तरी क्षेत्र	श्री नवल किशोर शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, 119, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली	पूर्णकालिक

2. दक्षिणी क्षेत्र	अधिसूचित की जाएगी	
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	श्री वनलनगैया, कुलकावन, पो.ओ. एजोल, मिजोरम	अंश कालिक
4. पूर्वी क्षेत्र	श्रीमती तारा भट्टाचार्जी, ई–3, पंचशील पार्क, नई दिल्ली–16	अंश कालिक
5. केन्द्रीय क्षेत्र	श्री भागवत मावू, अध्यक्ष, मालवा भील सेवक, संघ, हेमिल्टन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश	अंश कालिक
6. पश्चिमी क्षेत्र	श्री गफूर भाई मोहम्मद भाई, परिश्रम, रोड चाला, दामन वापी, गुजरात–396191	अंश कालिक

विशेषज्ञ सदस्य

[धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ख)]

7. श्री राधेश्याम शर्मा, सचिव, उद्योग मंदिर, पी.ओ., आमेर, जयपर, राजस्थान	अंश कालिक
8. श्री वि. रामाचन्द्रन, भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ, 132/133, कालीदास रोड, रामनगर, कोयंबत्तोर, तमिलनाडु	अंश कालिक

पदेन—सदस्य

[धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ)]

9. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

10. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2. आयोग के सभी सदस्य (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) 6 सितम्बर, 1994 को और इस तारीख से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे ।

3. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4, उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री नवल किशोर शर्मा, सदस्य, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, को उक्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं. 6(5)/93–के.वी.आई(1)]

एम.वी. महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1994

S.O. 645 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries, Commission Act. 1956 (61 of 1956) read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act, namely:—

ZONAL MEMBERS

[Clause (a) of sub-section (2) of section 4]

1. North Zone	Shri Nawal Kishore Sharma, Former Union Minister, 119, South Avenue, New Delhi.	Full Time
2. South Zone	To be notified.	
3. North-Eastern Zone	Shri Vanlangaia, Kulkawn, P.O. Aizal, Mizoram.	Part Time
4. East Zone	Smt. Tara Bhattacharjee, E-3, Panchsheel, Park, New Delhi-16.	Part Time
5. Central Zone	Shri Bhagvat Saboo, Chairman, Malwa Bheel Sevak Sangh, Hamilton Road, Indore, Madhya Pradesh.	Part Time
6. West Zone	Shri Gafoor Bhai Mohd. Bhai, Parishram, Daman Road Chala, Vapi, Gujarat-396191.	Part Time

EXPERT MEMBERS

[Clause (b) of sub-section (2) of section 4]

7. Shri Radheshyam Sharma, Secretary, Udyog Mandir, P.O. Amer, Jaipur, Rajasthan.	Part Time
8. Shri V. Ramachandran, Bharatiya Khadi Gramodyog Sangh, 132/133, Kalidas Road, Ramnagar, Coimbatore, Tamil Nadu.	Part Time

EX-OFFICIO MEMBERS

[Clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 4]

9. Financial Adviser,
Khadi and Village Industries Commission.

10. Chief Executive Officer,
Khadi and Village Industries Commission.

2. The members of the Commission (except the ex-officio members) shall hold office for a period of five years commencing on and from 6th September, 1994.

3. In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), Central Government hereby appoints Shri Nawal Kishore Sharma, Member, Khadi and Village Industries Commission, as Chairman of the said Commission.

[No. 6(5)/93—KVI-I]

S.B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994